

भारतीय गैर न्यायिक



पचास
रुपये
₹.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BC 524488

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (AFFIDAVIT/BOND) प्रारूप

मे किशनलाल पुत्र श्री मंगलाराम धारित पद अध्यक्ष उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि -

1- मेरी संस्था का नाम सूर्यपुत्र शनिदेव सेवा समिति गौशाला, रामगढ़ जिला जैसलमेर है। इस संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 56/जैसल/2002-03 दिनांक 23.11.2002 तथा राजस्थान गौशाला अधिनियम 1980 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 1881/2019 दिनांक 28.06.2019 है।

2- मेरी गौशाला /काजी हाउस के संचालन का स्थान रामगढ़ तहसील जैसलमेर पंचायत समिति सम जिला जैसलमेर है।

3- मेरे पशु शिविर में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़े गये 190 बड़े 10 छोटे कुल 200 पशु संवारित हैं।

4- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से मेरे घोषित पशु शिविर/चारा डिपो का आकरिमक निरीक्षण/विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।

5- मैं मलीमाति परिचित हूँ कि आकरिमक निरीक्षण/विडियो ग्राफी के दौरान बटाई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

6- मैं पशु शिविर/चारा डिपो की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।

7- जिले द्वारा समय-समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्वतः पालन करूंगा।

SIGNATURE/ASSESTED

Keshar Singh Bhati

मे किशनलाल पुत्र श्री मंगलाराम धारित पद अध्यक्ष उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 7 तक दिया गया विवरण सत्य है।

श्री सूर्यपुत्र शनिदेव
सेवा समिति एवं गौशाला
रामगढ़

शपथग्रहिता
अध्यक्ष

श्री सूर्यपुत्र शनिदेव
सेवा समिति एवं गौशाला
रामगढ़



SIGNATURE/ASSESTED

Keshar Singh Bhati
Notary Public Jaipur

31/3/2022

राजस्थान – सरकार
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर

क्रमांक :



दिनांक :

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "श्री सुर्यपुत्र शनिदेव सेवा समिति, रामगढ़" का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 56/जैसल/2002-03 पंजीयन दिनांक 23.11.2002 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत किया गया है।

आज दिनांक 10.5.19 को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर के "श्री सुर्यपुत्र शनिदेव सेवा समिति गौशाला, रामगढ़" कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र आज दिनांक 10 माह 19 सन् दो हजार 3 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुजनाराम)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर
सहायक रजिस्ट्रार, जैसलमेर

4/2/19
अध्यक्ष
श्री सुर्यपुत्र शनिदेव
सेवा समिति एवं गौशाला
रामगढ़